04/08/20

पत्रावली पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। कनि-प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को देखते हुए जमाबंदी की शुद्धि के साथ [illegible] [illegible] 7SHPD-A का प०नं० 02/344 डि०नं० 1 ता 10, 14, 15 = 3.036 हे० खातेदा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:55:44 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	भूमि प्रार्थिया के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थिया को उक्त भूमि प्रार्थिया के ससुर काला सिंह पुत्र लहना सिंह से मुताबिक वसीयत प्राप्त हुई है। प्रार्थिया उक्त भूमि की एक मात्र sole owner है व मौका पर काबिज व काश्त है। अप्रार्थीगण चतुर व चालाक है। अप्रार्थी नं. 1 व 2 प्रार्थिया की खातेदारी भूमि पर कब्जा करना चाहते है। यदि अप्रार्थी नं. 1 व 2 अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थिया को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर दिनांक 26.02.2019 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वाद पत्र के निर्णय तक कायम किया जावे। वकील प्रार्थी ने प्रार्थिया एवं प्रेम कुमार का शपथ पत्र एवं फार्म सं. 3 में फोटो पेश किये।
	वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना को दोहराते हुए बताया की प्रश्नगत भूमि में से चक 7SHPD चकनं0 02/344 डिब्बनं0 1 ता 10 = 10.00 बीघा भूमि [illegible] अप्रार्थी नं. 1 की जरिये इकरारनामा दिनांक 19.12.03 को काला सिंह पुत्र लहना सिंह से खरीदशुदा है। उक्त 10.00 बीघा पर अप्रार्थी-1 काबिज है। काला सिंह व उसके वारिसान द्वारा इकरारनामा की पालना नहीं किये जाने के कारण अप्रार्थी द्वारा विक्रय अनुबंध की विशिष्ट पालना का वाद पत्र माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायधीश, सूरतगढ़ के समक्ष पेश किया हुआ है। वादीया का कब्जा नहीं है। दावा मा0 [illegible] के समक्ष विचाराधीन है। अप्रार्थी नं. 1 जरिये इकरारनामा विधिक रूप से काबिज है। अतः प्रार्थना-पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे। वकील [illegible] फार्म नं. 03 के साथ [illegible] के [illegible] की प्रति प्रस्तुत की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:55:44 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

किस्म मुकदमा:– 212 R.T.A. प्रकरण संख्या:– 25/2010

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रश्नगत रकबा प्रार्थिया के नाम दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत माल रिकार्ड, सूरतगढ़ के जरिये दिनांक 06.10.2015 में अप्रार्थिया (काश्तकार आदि) के पिता [illegible] वाद के [illegible] तक जारी किया गया है जो [illegible] वाद दिया गया है। प्रार्थिया का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का मामला नहीं बनना प्रतीत होता है अतः प्रार्थिया का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।	
	उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थिया अस्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 26.02.2010 को जारी T.I. भी निरस्त की जाती है। पत्रावली [illegible] बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	निर्णय आज दिनांक 04/08/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	04-08-2020	
	उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:55:44 IST
Reason: SelfAttested